मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

<u>ग्रंथपाल तथा क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा - 2018</u>

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु ग्रंथपाल तथा क्रीड़ा अधिकारी के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक 04/2018/ 29.05.2018	**परीक्षा तिथि**	**ऑनलाइन आवेदन करने की**
उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन	**18.08.2018**	**अंतिम तिथि 04.07.2018**

महत्वपूर्ण

1- **पदों हेतु निर्धारित संक्षिप्त शैक्षणिक अर्हता :- (विस्तृत अर्हता हेतु विज्ञापन के बिन्दु "दो (G)" का अवलोकन करें)**

ग्रंथपाल :-

(1) लाइब्रेरी साइंस/ सूचना विज्ञान/ प्रलेखन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों। कंप्यूटर का ज्ञान रखता हो।

(2) नेट/ स्लेट/ सेट अर्हता धारक । यू.जी.सी. रेग्युलेशन 2009 के अनुसार पीएच.डी. धारकों तथा 2009 के पूर्व के पीएच.डी. धारकों को यू.जी.सी. रेग्युलेशन 2016 मे उल्लेखित शर्तें पूरी करने पर नेट/ स्लेट/ सेट की अनिवार्यता से छूट

क्रीड़ा अधिकारी :-

(1) शारीरिक शिक्षा अथवा खेलकूद विज्ञान में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री। अंतर-विश्वविद्यालय/ अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में अथवा राज्य एवं /अथवा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व।

(2) नेट/ स्लेट/ सेट अर्हता धारक । यू.जी.सी. रेग्युलेशन 2009 के अनुसार पीएच.डी. धारकों तथा 2009 के पूर्व के पीएच.डी. धारकों को यू.जी.सी. रेग्युलेशन 2016 मे उल्लेखित शर्तें पूरी करने पर नेट/ स्लेट/ सेट की अनिवार्यता से छूट।

1- **आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जायेगे. आवेदन पत्र दिनांक 05.06.2018 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 04.07.2018 (रात्रि 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in, www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर भरे जा सकते है । ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/ शिकायत हेतु निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें :-**

हेल्पलाइन :- 0755-4019400

2- **अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें । ऑनलाइन आवेदनपत्रों में 10.06.2018 से 06.07.2018 तक त्रुटिसुधार किया जा सकेगा । इस हेतु प्रति सुधार सत्र ₹ 50/- त्रुटिसुधार शुल्क देय होगा ।**

3- **ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गयी श्रेणी/ वर्ग (अनारक्षित/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)/ लिंग (महिला/पुरुष)/ शासकीय सेवक/ नि:शक्तजन) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है । अत: त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त आवेदन सरसरी तौर पर अमान्य किए जाएगें तथा आयोग द्वारा इस सन्दर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा ।**

4- **उक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाइन परीक्षा दिनांक 18.08.2018 को इंदौर, भोपाल, ग्वालियर तथा जबलपुर स्थित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी जिसके प्रवेश पत्र दिनांक 27.07.2018 से 16.08.2018 तक आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर उपलब्ध होंगें।**

5- **विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनायें, ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com एवं रोजगार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा साथ ही अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिये गए** E-mail Address **तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS Alert भी प्रेषित किए जाएंगे। अत: अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहे ।**

6- **आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी एक व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अत: किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अत: ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आये और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा।**

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से **उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन**, के अंतर्गत **ग्रंथपाल** तथा **क्रीड़ा अधिकारी** के निम्नानुसार पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है :-

क्र.	विवरण	रिक्त पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या				रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी नि:शक्त अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या		
		UR	SC	ST	OBC	कुल	UR	SC	ST	OBC	अ.बा.	दृ.बा.	श्र.बा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**ग्रंथपाल**												
	बैकलाग पद	00	12	39	20	**71**	00	04	13	07	02	00	02
	सेवानिवृत्ति / पदोन्नति से रिक्त पद/ नवीन सृजित पद	126	35	43	33	**237**	41	12	15	11	07	00	07
	कुल पद	**126**	**47**	**82**	**53**	**308**	**41**	**16**	**28**	**18**	**09**	**00**	**09**
2	**क्रीड़ा अधिकारी**												
	बैकलाग पद	00	15	28	07	**50**	00	05	09	02	00	00	03
	सेवानिवृत्ति / पदोन्नति से रिक्त पद/ नवीन सृजित पद	138	39	49	35	**261**	45	13	16	12	00	00	15
	कुल पद	**138**	**54**	**77**	**42**	**311**	**45**	**18**	**25**	**14**	**00**	**00**	**18**

दो - **पद का विवरण**

(A) **विभाग का नाम** : **मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग**

(B) **श्रेणी** : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी

(C) **पद स्थिति** : स्थायी

(D) **वेतनमान** : रुपये 15600-39100 + एजीपी 6000

(E) **कर्तव्य** : शैक्षणिक

(F) **पद का नाम** : **(1) ग्रंथपाल (02) क्रीड़ा अधिकारी**

(G) **अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता**

(1) ग्रंथपाल

(i) लाइब्रेरी साइंस/ सूचना विज्ञान/ प्रलेखन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री, अथवा एक समकक्ष व्यावसायिक डिग्री जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (अथवा एक पॉइंट स्केल मे समकक्ष ग्रेड, जहां पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो) तथा सुसंगत तौर से श्रेष्ठ अकादमिक रिकार्ड जिसमें लाइब्रेरी के कंप्यूटरीकरण की जानकारी भी हो।

(ii) राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा, जो की इस उद्देश्य से यू.जी.सी. द्वारा अथवा किसी अन्य ऐसी संस्था द्वारा जो कि यू.जी.सी. द्वारा अनुमोदित है - उस परीक्षा में अर्हता प्राप्त करना।

(iii) वैसे, जो भी ऐसे प्रत्याशी है जो पीएच. डी. प्राप्त है अथवा जिन्हें यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित (न्यूनतम मानक एवं विधि जो कि पीएच. डी. प्रदान करने के लिए है) नियमनों 2009 के अनुसार अथवा बाद वाले नियमनों के अनुसार यदि वे यू.जी.सी. द्वारा विश्वविद्यालय सहायक पुस्तकालयध्यक्ष /

महाविद्यालय पुस्तकालयध्यक्ष की नियुक्ति हेतु अधिसूचित किए गए है । ऐसे सभी प्रत्याशियों को नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट होगी।

दिनांक 11 जुलाई 2009 से पूर्व में पीएचडी हेतु पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान किया जाना उपाधि प्रदान करने वाले संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश/उपविधि/विनियमों के उपबंधों द्वारा शासित होगा और पीएच.डी. उपाधि धारक अभ्यर्थियों को निम्नवत शर्तों पर खरा उतरने के अध्याधीन विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थानों में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगी:-

(क) अभ्यर्थी को केवल नियमित (Regular) पद्धति से पीएच.डी. उपाधि प्रदान की गयी हो

(ख) कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो

(ग) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किए हों जिसमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित (Referred) जर्नल में प्रकाशित हुआ हो

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. शोध कार्य में से दो पेपर संगोष्ठियों/ सम्मेलनों में प्रस्तुत किए हों

(ड.) अभ्यर्थी का मौखिक साक्षात्कार संचालित किया गया हो

उपर्युक्त (क) से (ड.) को कुलपति/ सम-कुलपति/ संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/ संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-118/2012/38-1, दिनांक 05 .12. 2017 के पत्र के अनुरूप दिनांक 11 जुलाई 2009 के पूर्व एवं 11 जुलाई 2009 के पश्चात नियमन लागू होने के दिनांक तक उपरोकतानुसार अर्हता मान्य होगी। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर समृद्ध श्रेणी) तथा नि:शक्तजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर पात्रता एवं श्रेष्ठ अकादमिक रिकार्ड के उद्देश्य से शैक्षिक पदों पर प्रत्यक्ष भर्ती के दौरान 5% तक की छूट प्रदान की जाएगी । पात्रता संबंधी 55 प्रतिशत अंक (अथवा एक समस्तरीय ग्रेड एक पाइंट स्केल में जहां भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो) तथा उपरोक्त श्रेणियों के लिए दी जाने वाली 5% की छूट की अनुमति केवल अर्हकारी अंकों पर आधारित , अनुग्रहांक सम्मिलित किए बिना होगी।

(2) क्रीड़ा अधिकारी

(i) शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद विज्ञान में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री (अथवा एक पॉइंट स्केल मे समकक्ष ग्रेड, जहां पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो) जिसके साथ ही सुसंगत श्रेष्ठ अकादमिक रिकार्ड ।

(ii) यह अभिलेख मौजूद हों कि विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय का अंतर-विश्वविद्यालय/ अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में अथवा राज्य एवं /अथवा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व रहा हों।

(iii) राष्ट्रीय स्तर का कोई परीक्षण , जो इस उद्देश्य से यू.जी.सी. द्वारा अथवा किसी अन्य किसी संस्था द्वारा जो कि यू.जी.सी. द्वारा अनुमोदित हो -

संचालित किया गया हों - जिसमें कि अर्हता प्राप्त की हों।

(iv) चयनित अभ्यर्थियों का यूजीसी रेग्यूलेशन 2010 की कंडिका 4.6.4 के अंतर्गत दिये गए शारीरिक क्षमता परीक्षण मानकों के अनुरूप शारीरिक क्षमता परीक्षण, उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से लिया जावेगा। शारीरिक क्षमता परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों को ही विभाग द्वारा नियुक्ति दी जाएगी।

(v) ऐसे प्रत्याशी, जो कि या तो पीएच. डी. है अथवा जिन्हें पीएच.डी. प्रदान की गयी है, जो कि यू.जी.सी. नियमन, 2009 के अनुसार है (न्यूनतम मानक एवं पीएच. डी. डिग्री प्रदान करने की प्रणाली) ऐसे सभी प्रत्याशियों को नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट होगी- जो शर्ते विश्वविद्यालय सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा / महाविद्यालय निदेशक शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद) की भर्ती एवं नियुक्ति के लिए है।

दिनांक 11 जुलाई 2009 से पूर्व में पीएचडी हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान किया जाना उपाधि प्रदान करने वाले संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश/उपविधि/विनियमों के उपबंधों द्वारा शासित होगा और पीएच.डी. उपाधि धारक अभ्यर्थियों को निम्नवत शर्तों पर खरा उतरने के अध्याधीन विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थानों में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगी:-

(क) अभ्यर्थी को केवल नियमित (Regular) पद्धति से पीएच.डी. उपाधि प्रदान की गयी हो;

(ख) कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो;

(ग) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किए हों जिसमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित (Referred) जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. शोध कार्य में से दो पेपर संगोष्ठियों/ सम्मेलनों में प्रस्तुत किए हों;

(ड.) अभ्यर्थी का मौखिक साक्षात्कार संचालित किया गया हो।

उपर्युक्त (क) से (ड.) को कुलपति/ सम-कुलपति/ संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/ संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-118/2012/38-1, दिनांक 05 .12. 2017 के अनुरूप दिनांक 11 जुलाई 2009 के पूर्व एवं 11 जुलाई 2009 के पश्चात नियमन लागू होने के दिनांक तक उपरोकतानुसार अर्हता मान्य होगी इस सबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर समृद्ध श्रेणी) तथा नि:शक्तजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर पात्रता एवं श्रेष्ठ अकादमिक रिकार्ड के उद्देश्य से शैक्षिक पदों पर प्रत्यक्ष भर्ती के दौरान 5% तक की छूट प्रदान की जाएगी । पात्रता संबंधी 55 प्रतिशत अंक (अथवा एक समस्तरीय ग्रेड एक पाइंट स्केल में जहां भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो) तथा उपरोक्त श्रेणियों के लिए दी जाने वाली 5% की छूट की अनुमति केवल अर्हकारी अंकों पर आधारित , अनुग्रहांक सम्मिलित किए बिना होगी।

<u>शारीरिक क्षमता परीक्षण:-</u> (यूजीसी रेग्यूलेशन 2010 की कंडिका 4.6.4 के अनुसार)

क्रीड़ा अधिकारी के पदों हेतु चयनित अभ्यर्थियों का शारीरिक क्षमता परीक्षण किया जाएगा। शारीरिक क्षमता परीक्षण में असफल अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अपात्र होंगें। शारीरिक क्षमता परीक्षण निम्न मापदंडों के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से लिया जावेगा:-

नियमन जो पुरुषों के लिए है			
12 मिनट वाली दौड़/ चलने का परीक्षण			
30 वर्ष तक के लिए	40 वर्ष तक के लिए	45 वर्ष तक के लिए	50 वर्ष तक के लिए
1800 मीटर	1500 मीटर	1200 मीटर	800 मीटर

नियमन जो महिलाओं के लिए है			
8 मिनट वाली दौड़/ चलने का परीक्षण			
30 वर्ष तक के लिए	40 वर्ष तक के लिए	45 वर्ष तक के लिए	50 वर्ष तक के लिए
1000 मीटर	800 मीटर	600 मीटर	400 मीटर

(H) आयु सीमा: **21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 44 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।**

(I) आयु संगणना तिथि 01.01.2019

तीन (i) आवेदक के पास उपर्युक्त अर्हताये ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि **04.07.2018** तक होना चाहिये आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी तिथि को उक्त अर्हतायें अर्जित करने वाले आवेदक विज्ञापित पदों हेतु विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।

(ii) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या मे लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित करने के पूर्व तक वृद्धि की जा सकेगी। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।

(iii) चयनित आवेदकों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जायेगी।

(iv) **<u>किसी भी प्रवर्ग में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिये आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगें।</u>**

(v) **ग्रंथपाल तथा क्रीड़ा अधिकारी पदों हेतु पद विवरण में दर्शाये अनुसार नि:शक्त श्रेणी हेतु आरक्षण तथा छूटों की पात्रता रहेगी । न्यूनतम 40 प्रतिशत अथवा अधिक नि:शक्त अभ्यर्थी ही आरक्षण तथा छूटों के पात्र होंगें।**

(vi) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला तथा नि:शक्तजन हेतु आरक्षित पद केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला तथा नि:शक्तजन हेतु आरक्षित है। छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य है तथा अन्य प्रदेशों के नि:शक्तजन तथा महिला अभ्यर्थी आरक्षण हेतु पात्र नहीं है। उन्हें अनारक्षित पदों हेतु विचारित किया जायेगा।

(vii) मध्य प्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।

आयु सीमा में दी गयी अन्य छूटों के लिए **<u>परिशिष्ट -1</u>** देखें।

चार **मध्य प्रदेश सिविल सेवायें (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-**

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या

उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा।

पांच **महत्वपूर्ण :- यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तो को पूरा करते है। अत: आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी।**

छः अधिवार्षिकी आयु :- **62 वर्ष**

सात **चयन प्रक्रिया :-**

(1) उपरोक्त पदों पर अंतिम चयन ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांक तथा यदि अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों/ मध्यप्रदेश शासन द्वारा वित्तपोषित राज्य विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक संकायों की अध्ययन शालाओं में अतिथि विद्वान (ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी) है तो इस रूप में कार्यानुभव के आधार पर देय वरीयता अंक के योग के गुणानुक्रम के आधार पर होगा।

(2) ऑनलाइन परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न-पत्र में कम से कम 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा नि:शक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को अंकों में 10 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। इस प्रकार उनके लिये लिखित परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न-पत्र में कम से कम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। 40% तथा 30% अंकों की गणना मे अतिथि विद्वानों को देय वरीयता अंक सम्मिलित नहीं होगें।

(3) ऑनलाइन परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों में अतिथि विद्वानों को देय वरीयता अंक जोड़कर प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर चयन सूची जारी की जाएगी।

(4) आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/ पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। **चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि/ लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।**

ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा की योजना हेतु परिशिष्ट-4 देखें। ऑनलाइन परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com. पर उपलब्ध है जिन्हें डाउनलोड किया जा सकता है।

आठ **ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा की तिथि तथा केंद्र** :- ऑनलाइन परीक्षा दिनांक **18.08.2018** को **इंदौर, भोपाल, ग्वालियर तथा जबलपुर,** स्थित निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी । आवेदकों की संख्या तथा प्रशासकीय कारणों से परीक्षा केन्द्रों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि अभ्यर्थी को उसके द्वारा चयनित शहर केंद्र ही आबंटित किया जावे। प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से पृथक केंद्र भी आबंटित किया जा सकेगा।
प्रवेश पत्र:- ऑनलाइन परीक्षा के प्रवेश पत्र दिनांक **27.07.2018** से **16.08.2018** तक आयोग की वेबसाइट **www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर उपलब्ध होंगें।

नौ **आवेदन प्रक्रिया :-** उक्त पद हेतु आवेदन पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किये जा सकेगें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट -2 का अवलोकन करें।

दस अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. पर ही आयोग द्वारा आवश्यक पत्र व्यवहार किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी का वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. परिवर्तित होता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को चाहिये कि वह अविलंब नए वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. की सूचना आयोग को लिखित में प्रस्तुत करे। अभ्यर्थी द्वारा वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. परिवर्तन की स्थिति में नए वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. की सूचना न देने पर आवश्यक पत्र-व्यवहार पुराने वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. पर किया जायेगा जिसके फलस्वरूप अभ्यर्थी

को पत्रादि प्राप्त न होने की स्थिति हेतु अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

ग्यारह आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

(i) आयु सीमा की छूट <u>**परिशिष्ट -1**</u>

(ii) मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों हेतु देय वरीयता अंक तथा आयु सीमा में छूट की व्यवस्था <u>**परिशिष्ट -2**</u>

(iii) आवेदन पत्र भरने के तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां <u>**परिशिष्ट -3**</u>

(iv) परीक्षा योजना हेतु <u>**परिशिष्ट -4**</u>

(v) ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में निर्देश <u>**परिशिष्ट-5**</u>

सचिव

उच्चतर आयु सीमा में देय छूट

मध्य प्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा आयु सीमा में छूट का निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

(1) उच्च शिक्षा विभाग में ग्रंथपाल/ क्रीड़ा अधिकारी की भर्ती हेतु **मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए** अधिकतम आयु सीमा में केवल एक बार के लिए निम्नानुसार छूट दी जावे :-

महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग) पुरुष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ शासकीय/ निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक/नि:शक्तजन)	44+5 = 49 वर्ष

(2) ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्होंने मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में ग्रंथपाल/ क्रीड़ा अधिकारी का कार्य अतिथि विद्वान के रूप में किया है तथा इस विज्ञापन के अंतर्गत ग्रंथपाल/ क्रीड़ा अधिकारी के पदों हेतु आवेदन कर रहे है, को अधिकतम आयु सीमा से पूर्ण छूट प्रदान की जाएगी तथा वे अधिवार्षिकी आयु के अध्यधीन आवेदन कर सकेंगें।

मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग परिपत्र क्रमांक 969/एफ 1-9/2016/38-1, दिनांक 08.08.2016 के अनुसार शासकीय महाविद्यालयों में स्ववित्तीय योजना के तहत कार्यरत अतिथि विद्वानों एवं राज्य विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक विभागों में ग्रंथपाल/ क्रीड़ा अधिकारी का कार्य करने वाले को भी उपरोक्तानुसार मान्य किया जाएगा।

(2) **अन्य छूट :- प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूट:-**

1 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

2 विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/18/85/3/1, दिनांक 3.9.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

3 मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक 427/1422/1(3)82, दिनांक 14 जून 1982 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अनुज्ञेय आयु सीमा में छूट भूतपूर्व सैनिकों को उनके द्वारा की गयी सेवा के आधार पर अधिकतम 3 वर्षों की छूट होगी जो की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के अध्यधीन होगी।

4 उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (1,2,3) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों / योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

5 समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में है अत: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नि:शक्त तथा महिला आवेदकों को देय आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के आवेदक अनारक्षित मान्य होंगें।

नोट (01) उपरोक्त परिशिष्ट -1 बिन्दु 1 तथा 2 मे उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) आवेदकों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुये भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी (केवल उन प्रवर्गों को छोड़कर जिनमें उपरोक्त बिन्दु (1) में 45 वर्ष से अधिक छूट प्रदान की गयी है) । अर्थात जिन आवेदकों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं है। (केवल उन प्रवर्गों को छोड़कर जिनमें उपरोक्त बिन्दु (1) में 45 वर्ष से अधिक छूट प्रदान की गयी है)

मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान के रूप में कार्यानुभव के आधार पर देय वरीयता अंक तथा आयु सीमा में छूट संबंधी व्यवस्था

मध्य प्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयु सीमा में छूट का निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

मध्य प्रदेश के मूल निवासी उन अभ्यर्थियों को, जिन्होंने मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में ग्रंथपाल/ क्रीड़ा अधिकारी का कार्य अतिथि विद्वान के रूप मे किया है तथा जिन्होंने ग्रंथपाल/ क्रीड़ा अधिकारी के स्वीकृत पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन किया है, को अतिथि विद्वान के रूप मे किए गए कार्य के आधार पर शासन द्वारा निर्धारित मापदंड अधिकतम आयु सीमा में पूर्ण छूट प्रदान की जाएगी तथा वे अधिवार्षिकी आयु के अध्यधीन आवेदन कर सकेंगें।

मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग परिपत्र क्रमांक 969/एफ 1-9/2016/38-1, दिनांक 08.08.2016 के अनुसार उपरोक्त छूट शासकीय महाविद्यालयों में स्ववित्तीय योजना के तहत कार्यरत अतिथि विद्वानों एवं राज्य विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक विभागों से संबन्धित विषयों का अध्यापन कार्य करने वाले को भी उपरोकतानुसार मान्य किया जाएगा।

अतिथि विद्वान प्रति सत्र अधिकतम 4 अतिरिक्त वरीयता अंक के मान से अधिकतम 20 अंक की सीमा तक वरीयता अंक प्राप्त करेंगें। **वरीयता अंक ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़े जाएंगे।**

(1) उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों, शासकीय महाविद्यालयों में स्ववित्तीय योजना के तहत कार्यरत अतिथि विद्वानों एवं राज्य विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक विभागों के अतिथि विद्वानों को निम्नानुसार वरीयता अंक तथा अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी :-

वरीयता अंक :-

1	एक शैक्षणिक सत्र में 151 या 151 से अधिक कार्य दिवसों पर	04 अंक
2	एक शैक्षणिक सत्र में 101 या 150 तक के मध्य कार्य दिवसों पर	03 अंक
3	एक शैक्षणिक सत्र में 51 से 100 तक के कार्य दिवसों पर	02 अंक
4	एक शैक्षणिक सत्र में 25 से 50 तक के कार्य दिवसों पर	01 अंक

(2) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में ग्रंथपाल/ क्रीड़ा अधिकारी का कार्य अतिथि विद्वान के रूप मे किया है वे इस परिशिष्ट-2 से संलग्न <u>प्रपत्र -एक</u> में संबंधित महाविद्यालय/ महाविद्यालयों के प्राचार्य से अनुभव प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगें।

(3) उक्त प्रमाण-पत्र/ प्रमाण-पत्रों के आधार पर इस परिशिष्ट-2 से संलग्न **प्रपत्र -दो** (गणना-पत्रक) की अनुभव के आधार पर पूर्ति करेंगें तथा तत्पश्चात उक्त गणना पत्रक को प्रमाणीकरण हेतु अग्रणी महाविद्यालय में <u>प्राधिकृत जांचकर्ता अधिकारी (प्राचार्य)</u> को प्रस्तुत करेंगें।

(4) अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित गणना-पत्रक के आधार पर देय वरीयता अंक का उल्लेख अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में यथा-स्थान किया जाएगा जिसके आधार पर उसे अंतिम वरीयता अंक का लाभ प्राप्त होगा ।

(5) जिन अभ्यर्थियों द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में स्ववित्तीय योजना के तहत विभाग में ग्रंथपाल/ क्रीड़ा अधिकारी के रूप में कार्य किया है, उन्हें भी उपरोकतानुसार वरीयता अंक का लाभ देय होगा।

(6) मध्य प्रदेश के राज्य पोषित विश्वविद्यालयों की अध्ययन शालाओं में रिक्त पदों के विरुद्ध पारदर्शी निर्धारित चयन प्रक्रिया से नियुक्त कार्यरत विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों के अतिथि विद्वानों हेतु प्रमाणीकरण संकाय प्रमुख की अनुसंशा पर संबन्धित विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा किया जाएगा।

प्रपत्र- एक

कार्यालय, प्राचार्य, ... (शासकीय महाविद्यालय का नाम)

शासकीय महाविद्यालय का पता, दूरभाष एवं ई-मेल: ....

....

अनुभव प्रमाण-पत्र

(केवल लोक सेवा आयोग द्वारा जारी ग्रंथपाल/ क्रीड़ा अधिकारी सीधी भर्ती के सन्दर्भ में मान्य)

(अतिथि विद्वान के रूप में शैक्षणिक कार्य सम्पादित करने हेतु)

क्रमांक: ....   स्थान: ...., दिनांक: ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... (अतिथि विद्वान का नाम) आत्मज/आत्मजा श्री .... ने इस महाविद्यालय के .... विभाग में अतिथि विद्वान के रूप में निम्नानुसार सत्रों में शैक्षणिक कार्य संपन्न किया :

क्रमांक	शैक्षणिक सत्र	कुल कार्यदिवसों की संख्या	रिमार्क

टीप: यह अनुभव प्रमाण-पत्र महाविद्यालयीन लेखा एवं अन्य अभिलेखों के आधार पर जारी किया गया है|

स्थान: ....

(हस्ताक्षर)

प्राचार्य का नाम ....

प्राचार्य की पद मुद्रा

अनुभव के अधिभार की गणना हेतु पत्रक

प्रपत्र-2

(अतिथि विद्वान के रूप में शासकीय महाविद्यालयों में कार्य अनुभव के अधिभार की गणना बाबत)

विषय:	

आवेदक का पूरा नाम : ....

पिता/पति का नाम : ....

आवेदक को उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान के रूप में कार्य करने पर, अनुभव के आधार पर वरीयता अंक अंतिम मेरिट में जोड़े जावेगें| अधिभार की गणना हेतु प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के लिए ग्रंथपाल/ क्रीड़ा अधिकारी के रूप में कार्य करने पर निम्न तालिकानुसार अनुभव के अंक प्रदान किये जावेगें:

1. एक शैक्षणिक सत्र में 151 से अधिक कार्यदिवसों पर : **04** अंक
2. एक शैक्षणिक सत्र में 101 से 150 के मध्य कार्यदिवसों पर : **03** अंक
3. एक शैक्षणिक सत्र में 51 से 100 के मध्य कार्यदिवसों पर : **02** अंक
4. एक शैक्षणिक सत्र में 25 से 50 तक के कार्यदिवसों पर : **01** अंक

अधिभार की गणना की तालिका

शैक्षणिक सत्र (अधिकतम पांच)	क्रमांक	महाविद्यालय/यों का/के नाम	महाविद्यालयवार कार्यदिवस की संख्या	सत्रवार कार्यदिवस की कुल संख्या	सत्रवार अनुभव के अंक	संलग्न प्रमाणपत्र का क्रमांक एवं दिनांक
.... (प्रथम सत्र)	....	....	....	....	....	....
.... (द्वितीय सत्र)	....	....	....	....	....	....
.... (तृतीय सत्र)	....	....	....	....	....	....
.... (चतुर्थ सत्र)	....	....	....	....	....	....
.... (पंचम सत्र)	....	....	....	....	....	....
अनुभव के कुल अंकों का योग (अधिकतम अंक 20):						

अग्रणी महाविद्यालय द्वारा अभिप्रमाणीकरण के लिए आरक्षित स्थान

अनुभव के कुल अंक :

(जांचकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर एवं नाम)

प्राचार्य / कुलसचिव के हस्ताक्षर एवं मोहर:

(आवेदक के हस्ताक्षर)

दिनांक: ....

टीप-: जिले के अग्रणी महाविद्यालय से अनुभव के अंक एवं आयु सीमा में छूट का अभिप्रमाणीकरण कराने का दायित्व आवेदक का ही होगा|

ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1- ग्रंथपाल / क्रीड़ा अधिकारी के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है :-

1- उपरोक्त पदों हेतु आवेदन पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगें

1. www.mponline.gov.in
2. www.mppscdemo.in
3. www.mppsc.com
4. www.mppsc.nic.in

3- अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र mponline के अधिकृत कियोस्क से आवेदन/ परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान करके भर सकते है। इसके अतिरिक्त अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/ परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते है। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक आवेदक नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतांन कर सकते है।

4- आवेदक फार्म भरने के पूर्व अपने अर्हता से संबन्धित सभी अभिलेखों, नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइले तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट है। **mponline के अधिकृत कियोस्क पर स्केनिंग की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध है। mponline के अधिकृत कियोस्क की सूची उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है।**

5- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिये कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिये गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।

6- आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म मे अंकित की जा रही है वही प्रमाणिक जानकारी है अत: ऑनलाइन आवेदन पत्र submit करने के पूर्व आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन submit करें।

7- आवेदन पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुन: फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगें। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमे उसके आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा ।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन पत्र submit होने के बाद "proceed for payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

8- त्रुटि सुधार सुविधा :- आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक **10.06.2018** से **06.07.2018** तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा स्वयं ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये नस्तीबद्ध किया जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र की स्थिति में अतिरिक्त आवेदन पत्रों हेतु जमा शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।

ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गयी श्रेणी/ वर्ग (अनारक्षित/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)/ लिंग (महिला/पुरुष)/ शासकीय सेवक/ नि:शक्तजन) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है । अत: त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये नस्तीबद्ध किया जायेगा ।

9- आवेदक यह सुनिश्चित करें की उनके द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

2- परीक्षा तथा आवेदन शुल्क

मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा नि:शक्तजन हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी आवेदकों हेतु
₹ 500/-	₹ 1000/-
सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को उक्त शुल्क के अतिरिक्त निम्नानुसार पोर्टल शुल्क देय होगा:- (1) एम.पी. ऑनलाइन के कियोस्क के माध्यम से आवेदन भरने हेतु ₹ 150/- (GST सहित) (2) तथा स्वयं आवेदन पत्र भरने पर ₹ 100/- (GST सहित)	

टीप: आयोग को प्राप्त शुल्क केवल निम्न परिस्थितियों में ही आवेदक को वापस किया जायेगा (पोर्टल शुल्क वापस नहीं किया जाएगा):-

01 यदि आयोग द्वारा विज्ञापन निरस्त किया जाये अथवा

02 किसी कारण से परीक्षा अथवा चयन की कार्यवाही निरस्त कर दी जाय

नोट : **अभ्यर्थी आवेदन तथा परीक्षा शुल्क तथा पोर्टल शुल्क के सिवा अन्य किसी भी राशि का भुगतान न करें तथा यदि कियोस्कधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है अथवा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/ शिकायत हेतु Mponline से निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें :-**

हेल्पलाइन :- 0755-4019400

3- **ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि**

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि <u>04.07.2018</u> है। अंतिम तिथि को रात्रि 12:00 बजे के बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जायेगी।

4- **अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां अपलोड करना अनिवार्य है :-**

<u>आयु संबंधी प्रमाण के लिए :-</u> केवल हाईस्कूल/ हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/ प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

<u>शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :-</u> हाईस्कूल/ हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदन ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/ सेमेस्टर्स की अंक सूचियां।

<u>अनुभव के प्रमाण पत्र :-</u> अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिये। अनुभव प्रमाण पत्र में धारित पद, सेवा अवधि तथा कार्य के स्वरूप का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिये।

<u>नि:शक्तता प्रमाण-पत्र :-</u> नि:शक्त श्रेणी के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) नि:शक्तता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। **ग्रंथपाल/ क्रीड़ा अधिकारी के पदों हेतु पद विवरण में दर्शाये अनुसार नि:शक्त श्रेणी हेतु आरक्षण तथा छूटों की पात्रता रहेगी । न्यूनतम 40 प्रतिशत अथवा अधिक नि:शक्त अभ्यर्थी ही आरक्षण तथा छूटों के पात्र होंगें।**

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो की मध्य प्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के अधिकृत है अथवा उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। यदि आवेदन पत्र के साथ वैध प्रावधिक जाति प्रमाण-पत्र (जो की आवेदन की अंतिम तिथिको छ: माह के भीतर की अवधि में जारी हुआ हो) संलग्न किया जाता है तो साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है| यदि आवेदक साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जायेगी जिसके लिए आवेदक स्वयम जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में आवेदक का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये उसे नस्तीबद्ध किया जायेगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। **<u>विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जायेगा। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर में न आने का</u>**

<u>प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमी लेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगें। विवाहित महिलायें विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र संलग्न करें।</u>

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमी लेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे प्रमाण-पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग को देय छूटों हेतु मान्य नहीं होंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना होगा :-

टीप- अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो क्रीमी लेयर श्रेणी के अंतर्गत आते हो वे ऑनलाइन आवेदन पत्र अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत प्रस्तुत करें।

<u>घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप</u>

मैं -------------------- आयोग के विज्ञापन क्रमांक **<u>04/2018 दिनांक</u>** <u>29.05.2018</u> के अंतर्गत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। मै निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूं।

1. मै ------------------पुत्र/पुत्री श्री--------------------- निवासी ग्राम/कस्बा/ शहर/-------------जिला ------------,मध्य प्रदेश का/की मूल निवासी हूं। यह घोषणा करता/ करती हूं कि मै ----------------जाति का/की सदस्य हूं जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।

2. मै शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 7-28/2009/आ.प्र./एक , भोपाल, दिनांक 02 नवंबर 2017 में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मै सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/ आती हूं।

दिनांक :- -----------------

हस्ताक्षर...............................
नाम.......................................
पता-----------------------

आवेदन पत्र क्रमांक --------------------

मध्य प्रदेश के अतिथि विद्वान के रूप में कार्यानुभव के प्रमाण-पत्र तथा गणना पत्रक :- मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों / मध्य प्रदेश शासन द्वारा वित्तपोषित राज्य विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक संकायों की अध्ययनशालाओं में अतिथि विद्वान के रूप में संपादित कार्यानुभव का **प्रमाण-पत्र** संबन्धित शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य से परिशिष्ठ -2 में उल्लेखित प्रपत्र-1 में प्राप्त करें तथा कार्यानुभव के आधार पर देय वरीयंता अंक का **गणना-पत्रक** प्रपत्र -2 में अग्रणी महाविद्यालय से प्राप्त करें। उक्त दोनों प्रपत्रों की स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित प्रति अपलोड करें।

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना आवश्यक है।
<u>परिशिष्ट</u> -1 की कंडिका-(2) (1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

<u>परिशिष्ट</u> -1 की कंडिका-(2) (2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5- जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमे आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिये कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुये कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

अभिलेखों के स्वप्रमाणन के संदर्भ में अनुदेश :-

ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले अभिलेखों की छायाप्रतियों का प्रमाणन राजपत्रित अधिकारी से कराना आवश्यक नहीं है । अभिलेखों की छायाप्रतियों का स्वप्रमाणन आवेदक द्वारा किया जा सकेगा। आवेदक ध्यान रखें कि उनके द्वारा प्रमाणित अभिलेख गलत तथा त्रुटिपूर्ण अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकता है।

6- **अनुशासनिक निर्देश :-**

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

01 जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये परीक्षा में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या

02 प्रतिरूपण किया हो; या

03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या

04 कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हो, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

05 ऐसे कथन दिये हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हों; या

06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हों; या

07 परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हों या करने का प्रयास किया हों; या

08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हों या धमकाया हों या शारीरिक छति पहुंचाई हों; या

09 उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दिये गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमे परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिये गए अनुदेश सम्मिलित है, अतिक्रमण किया हों; या

10 परीक्षा कक्ष में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

<u>तब आयोग द्वारा :-</u>

(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरर्ह ठहरा सकेगा
और/ या
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उसपर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुसंशा की जाएगी।

(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

<u>एवं तब शासन द्वारा :-</u>

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7- **अनर्हताये:-** ऐसे आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जायेगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

9- **अत्यंत महत्वपूर्ण:-** आवेदक कृपया ध्यान रखें की परीक्षा केंद्र पर प्रवेश-पत्र के साथ निम्न मान्य फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने तथा उससे पहचान की पुष्टि होने के पश्चात ही परीक्षा देने की अनुमति मिलेगी।

1	पासपोर्ट	6	शासकीय सेवक के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र
2	मतदाता पहचान पत्र	7	बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस की फोटोयुक्त पासबुक
3	ड्रायविंग लायसेंस	8	शैक्षणिक संस्थान द्वारा अधिकतम तीन वर्ष पूर्व तक जारी परिचय पत्र
4	पैन कार्ड	9	राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो परिचय-पत्र
5	आधार कार्ड		

10- ऑनलाइन परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :-

ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम केवल "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित किया जायेगा। आवेदक को उसके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जायेगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जायेगा।

11- यात्रा व्यय का भुगतान :-

(अ) निम्न श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन परीक्षा हेतु मध्य प्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी :-

मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो कही सेवारत न हों।

(ब) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आबंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(स) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबन्धित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-

1. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराये की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो ।

(द) **अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code, आधार नंबर का उल्लेख करना तथा तथा साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ट की स्केन प्रति आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।**

(इ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुने।

ग्रंथपाल/ क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा 2018

परीक्षा योजना

(अ) अंक योजना :-

लिखित परीक्षा कुल 400 अंक का होगा। परीक्षा ऑनलाईन पद्धति से आयोजित की जावेगी।

लिखित परीक्षा	विवरण	अवधि	अंक
प्रश्न पत्र	विज्ञापित पद से संबन्धित विषय	3 घंटे	400
		कुल अंक	**400**

(ब) प्रश्न-पत्र योजना

(1) प्रश्न-पत्र में समस्त प्रश्न वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्प) प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प (A,B,C,D) होंगे। प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर (A,B,C,D) में समूहीकृत किया जायेगा। जिसमें से केवल एक ही सही उत्तर होगा।

(2) प्रश्नपत्रए पद से सम्बन्धित विषय का होगा जिसमें 2-2 अंकों के कुल 200 प्रश्न होंगे। इस प्रकार इस प्रश्नपत्र का पूर्णांक 400 होगा।

(3) प्रश्न-पत्र की अवधि 3 घंटे की होगी। प्रश्न-पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा।

(स) लिखित परीक्षा में उत्तीर्णांक :

लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु आवेदक को प्रश्नपत्र में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मध्यप्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जातिए अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग तथा निःशक्त श्रेणी के आवेदकों को जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं, लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परीक्षा में कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। 40% तथा 30% अंकों की गणना मे अतिथि विद्वानों को देय वरीयता अंक सम्मिलित नहीं होंगें।

(द) अतिथि विद्वानों को देय वरीयता अंक :

मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयोंए शासकीय महाविद्यालयों में स्ववित्तीय योजना के तहत कार्यरत एवं राज्य विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक विभागों में ग्रंथपाल तथा क्रीडा अधिकारी का कार्य करने वाले अतिथि विद्वानों को अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य/ विश्वविद्यालय के अतिथि विद्वानों के संदर्भ मे कुल सचिव, द्वारा अभिप्रमाणित गणना-पत्रक के आधार पर अधिकतम 20 वरीयता अंक दिये जायेंगे।

(फ) चयन विधि :

ऑनलाइन परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों में अतिथि विद्वानों को देय वरीयता अंक जोड़कर प्राप्त कुल अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर चयन सूची जारी की जाएगी।

(ज) पाठ्यक्रम

उक्त परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in, www.mppsc.com पर उपलब्ध कराये गए है। अभ्यर्थी वहां से पाठ्यक्रम Download कर सकते है।

ऑनलाईन परीक्षा के संबंध में निर्देश

ऑनलाईन परीक्षा के संबंध में निर्देश निम्नानुसार है-:

परीक्षा पूर्व निर्देश

01 परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in अथवा www.mppsc.com में निर्धारित लिंक पर आवेदन पत्र क्रमांक एवं जन्मतिथि की प्रविष्टि कर ऑनलाईन प्राप्त कर सकते है। यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र क्रमांक गुम गया है तो वे ऑनलाईन रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बरए नाम एवं जन्मतिथि डालकर OTP (One Time Password)/ टोल फ्री नम्बर (आयोग द्वारा जारी)/ वेबसाइट पर उपलब्ध know your application number लिंक से प्राप्त कर सकते है।

02 परीक्षा हेतु रजिस्टर्ड आवेदकों को उनके द्वारा चुने गये विकल्प (शहर) के आधार पर रेण्डम विधि से रोल नम्बर प्रदाय किये जावेंगे ।

03 परीक्षार्थियों हेतु निम्न हेल्प लाईन तथा ई-मेल के द्वारा हेल्प डेस्क पर की गई पूछताछ की समुचित व्यवस्था की जाएगी:-

हेल्प लाईन नम्बर-	0731-2700406
ई-मेल-	mppsconline@gmail.com

04 आयोग की वैबसाईट पर मॉक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराई । अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र क्रमांक तथा जन्म तिथि की प्रविष्टि कर उक्त सुविधा के माध्यम से ऑनलाईन परीक्षा प्रणाली से अपने आप को प्रशिक्षित कर सकेगा ।

05 परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के 01:30 घंटे पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुंचना आवश्यक है, ताकि उनकी प्रवेश संबंधी आवश्यक कार्यवाही समय रहते की जा सके ।

06 परीक्षार्थी अपने साथ किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रानिक उपकरण एवं अन्य अनावश्यक सामग्री साथ में नहीं लावे तथा अपने हथेलियों पर किसी प्रकार का रंग, स्याही अथवा मेंहदी न लगी हो, क्योंकि इस कारण बायोमेट्रिक दर्ज नहीं हो पाता है ।

07 ऐसे नि:शक्तजन जो दोनों हाथों से लिखने में असमर्थ है उन्हें में 20 मिनट प्रतिघन्टा अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा तथा सहलेखक के उपयोग की अनुमति प्रदान की जाएगी। इस संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है :-

अ उक्त श्रेणी के केवल ऐसे नि:शक्तजन को अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा जो सहलेखक का प्रयोग करेंगें ।

आ सहलेखक की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं करनी होगी। आयोग द्वारा सहलेखक उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

इ सहलेखक की शैक्षणिक अर्हता स्नातक से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी को उसके सहलेखक का मूल फोटो युक्त मान्य परिचय पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
(मान्य परिचय-पत्र सूची हेतु देखें परिशिष्ट-2 बिन्दु -7 (5))

ई सह लेखक को किसी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा मानदेय का भुगतान आयोग द्वारा नहीं किया जाएगा।

उ सहलेखक के प्रयोग की अनुमति केंद्राध्यक्ष द्वारा दी जाएगी इस हेतु अभ्यर्थी पर्याप्त समय पूर्व केंद्राध्यक्ष से संपर्क करें।

ऊ सहलेखक सुविधा की अनुमति हेतु अभ्यर्थी को जिला चिकित्सा-मण्डल/ सम्भागीय चिकित्सा-मण्डल/ राज्य चिकित्सा-मण्डल द्वारा जारी नि:शक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

08 परीक्षार्थी के परीक्षा केन्द्र पर पहुंचने पर रजिस्ट्रेशन डेस्क पर परीक्षार्थी के मूल फोटो परिचय पत्र, एडमिट कार्ड, एवं फोटो की जांच प्रवेश पत्र एवं परीक्षार्थी के साथ मिलान किया जायेगा । तत्पश्चात बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन (दाएं हाथ का अंगूठा, दाएं हाथ का अंगूठा न होने पर बायें हाथ का अंगूठा एवं दोनों अंगूठे न होने पर बायें/दाएं हाथ की प्रथम उंगली एवं दोनों हाथ न होने की स्थिति में सहलेखक के अंगूठे का वेरिफिकेशन किया जावेगा ।

09 परीक्षा कक्ष में प्रवेश के पूर्व पुलिस द्वारा तलाशी (फ्रिस्किंग) की जावेगी । जिससे कि परीक्षार्थी अपने साथ किसी भी प्रकार की वर्जित वस्तुऐं अन्दर न ले जा सके ।

परीक्षा हेतु वर्जित वस्तुयें

सामान्यत: ऑनलाइन परीक्षाओं में ऐसा पाया गया है कि परीक्षार्थी अपने कपड़ों, कफ़लिंक, चश्मा, जूते-मोजे, हाथ के बैंड/हाथ में बंधे बंधन इत्यादि में नाना प्रकार के इलेक्ट्रानिक डिवाइस का प्रयोग करते है। अत: परीक्षा कक्ष में जूते-मोजे पहनकर प्रवेश वर्जित होगा। परीक्षार्थी चप्पल व सेण्डल पहनकर आ सकते हैं। चेहरे को ढककर परीक्षा कक्ष में प्रवेश वर्जित होगा। एसेसरीज़ जैसे बालों को बांधने का क्लचर/ बक्कल, घड़ी, हाथ में पहने जाने वाले किसी भी प्रकार के बैंड, कमर में पहने जाने वाले बेल्ट, धूप में पहने जाने वाले चश्में, पर्स/वालेट, टोपी वर्जित है। सिर, नाक, कान, गला, हाथ-पैर, कमर आदि में पहने जाने वाले सभी प्रकार के आभूषण तथा हाथ में बंधे धागे/ कलावा/ रक्षा सूत्र आदि का सूक्ष्मता से परीक्षण कर वीक्षकों द्वारा परीक्षार्थी के कक्ष में जाने के पूर्व तलाशी ली जाएगी।

10 आयोग द्वारा निम्न फोटो आई-डी कार्ड मान्य किये गये है, इनमें से किसी एक की मूल प्रति साथ में लाना आवश्यक होगा । फोटो आई-डी की फोटोकापी मान्य नहीं की जावेगी।

1. मतदाता परिचय पत्र
2. आधार कार्ड
3. ड्राईविंग लायसेंस
4. पेन कार्ड
5. पासपोर्ट
6. फोटो सहित बैंक पासबुक
7. केन्द्र एवं राज्य सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय एवं अन्य नियोक्ताओं द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र ।
8. शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत परीक्षार्थियों के मामले में शिक्षण संस्था के प्रमुख द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र ।
9. अभ्यर्थी का राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो ।

उपरोक्त के अभाव में परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा ।

ऑनलाइन परीक्षा की मुख्य विशेषतायें

11 सम्पूर्ण परीक्षा व्यवस्था सी.सी.टी.वी कैमरों की निगरानी में संचालित की जावेगी ।

12 आयोग द्वारा परीक्षार्थी को केन्द्र पर रफ कार्य किये जाने हेतु पेपर एवं पेन की सुविधा प्रदान की जावेगी। रफ कार्य किये जाने हेतु प्रदत्त पेपर परीक्षा समाप्ति पश्चात् परीक्षा कक्ष में छोड़कर जाना होगा ।

13 रजिस्ट्रेशन एवं वेरिफिकेशन के पश्चात् परीक्षार्थी को रूम नम्बर एवं सीट नम्बर अलाट किये जावेगे।

14 ऑनलाईन परीक्षा हेतु सभी केन्द्रों पर आयोग द्वारा केन्द्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक एवं तकनीकी विशेषज्ञ नियुक्त किये गये है जो प्रश्नपत्र को आयोग से सुरक्षितरूप में प्राप्त कर केन्द्रों पर परीक्षार्थी के कम्प्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध करायेंगे।

15 परीक्षार्थी को जो मशीन आवंटित की गई है, उस पर सीट नम्बर, मशीन नम्बर, आई.पी एड्रेस, एवं कम्प्यूटर स्क्रीन पर स्वयं का फोटो है, यह सुनिश्चित कर सीट पर बैठे ।

16 परीक्षार्थी अपने रोल नम्बर एवं प्रवेश-पत्र पर अंकित पासवर्ड द्वारा लाग-इन कर सकेंगे ।

17 परीक्षार्थी द्वारा लाग-इन करने के पश्चात् स्क्रीन पर Instruction page, Symbol page display होगा ।

18 परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व परीक्षार्थी के स्क्रीन पर 05 प्रश्न दिये जावेंगे जो आवेदक द्वारा हल किये जावेगे तत्पश्चात स्क्रीन पर माडल आंसर उपलब्ध होगा जिससे परीक्षार्थी अपने उत्तर चेक कर सकेगा । उक्त प्रक्रिया को परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व अधिकतम 03 बार दोहराया जा सकेगा, जिससे परीक्षार्थी स्वयं यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि उसके कम्प्यूटर का माउस उसके द्वारा चाहे गये विकल्प पर ही क्लिक हो रहा है। उक्त प्रक्रिया में यदि किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न होती है तो वह कक्ष में उपस्थित वीक्षक/तकनीकी सहायक को उक्त संबंध में अवगत कराएगे, जिससे वीक्षक द्वारा शीध्र कार्यवाही की जा सके ।

19 परीक्षा के दौरान वीक्षक द्वारा उपस्थिति पत्रक पर परीक्षार्थियों के हस्ताक्षर एवं अंगूठे के निशान लिये जावेंगे तथा वीक्षक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षार्थी उसी मशीन पर परीक्षा दे रहा है जो उसे आवंटित की गई है ।

20 प्रत्येक परीक्षार्थी का सत्यापन वेरिफिकेशन शीट के आधार पर बाये/दाये हाथ पर बैठे परीक्षार्थी द्वारा किया जावेगा कि बैठा हुआ परीक्षार्थी उसे आवंटित की गई मशीन पर ही पूरे समय बैठकर परीक्षा दे रहा था ।

21 परीक्षार्थी अपनी सुविधानुसार प्रश्नों को हल कर सकेंगे एवं समय संबंधी अलार्म परीक्षा प्रारंभ होने पर, परीक्षा प्रारंभ होने के 01:00 घण्टे पश्चात, 01:30 घण्टे पश्चात परीक्षा समाप्ति के 10:00 मिनट पूर्व तथा अंतिम अलार्म बजेगा परीक्षा समाप्ति पर बजेगा ।

22 परीक्षार्थी को परीक्षा हेतु निर्धारित समय में हल किये गये प्रश्नो के उत्तरों को बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिससे वह चाहे गये प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय में बदल सकेगा ।

23 परीक्षार्थी द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग किये जाने पर वीक्षक द्वारा तत्काल प्रकरण तैयार कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, प्रकरण तैयार किये जाने के पश्चात् भी यदि परीक्षार्थी पुनः परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है तो उसे उक्त परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदाय की जा सकेगी, किन्तु यदि परीक्षार्थी आदेश का पालन नहीं करता है तो उसकी परीक्षा निरस्त की जायेगी । उक्त समस्त प्रकरण पर अंतिम निर्णय आयोग द्वारा लिया जावेगा ।

24 यदि परीक्षार्थी हल किये गये उत्तरों को समय समाप्ति के पूर्व सबमिट नहीं करता है तो मशीन स्वतः ही समय समाप्ति पर उत्तरों को सबमिट कर बन्द हो जावेगी।

<u>परीक्षा पश्चात की कार्य प्रक्रिया</u>

25 अभ्यर्थी परीक्षा समाप्ति पश्चात् हल किये गये प्रश्नों के उत्तरों का P.D.F. Form में पुनः अवलोकन कर सकेंगें। अवलोकन किये जाने हेतु 05 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जावेगा जिसके अंतर्गत वे हल किये गये उत्तरों में किसी का बदलाव नहीं कर सकेंगे ।

26 मध्यप्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रवेश पत्र पर अंकित पते से परीक्षा केन्द्र शहर तक का यात्रा भत्ते का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से किया जायेगा;
इस हेतु अभ्यर्थियों को वांछित घोषणा-पत्र तथा निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य है:-

- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की फोटो कापी
- यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा का विवरण तथा राशि का स्पष्ट उल्लेख हो जाति प्रमाण पत्र की फोटो कापी जमा करने पर ही प्रदान किया जायेगा ।

27 परीक्षा समाप्ति पश्चात् हल किये गये प्रश्नों एवं दिये गये उत्तरों की उत्तरपुस्तिका एवं प्रावधिक उत्तर कुंजी अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड ई-मेल आई-डी पर भेजी जावेगी ।

28 प्रावधिक उत्तर परीक्षोपरान्त आयोग की वैब साईट पर उपलब्ध रहेंगे ।

29 परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की माडल उत्तर कुंजी तैयार कर आयोग की वेबसाइट **<u>www.mppsc.nic.in</u>** तथा **<u>www.mppsc.com</u>** पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 07 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी । इस अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार एवं पत्राचार नहीं किया जाएगा । प्रति प्रश्न आपत्ति हेतु 100 रुपये शुल्क देय होगा तथा प्रति सत्र पोर्टल शुल्क पृथक से देय होगा। आपत्ति हेतु दिया गया शुल्क आपत्ति के सही पाये जाने पर अभ्यर्थी के बैक खाते में ऑनलाइन पद्धति से वापस किया जाएगा । पोर्टल शुल्क किसी भी स्थिति मे वापस नहीं किया जाएगा।

प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जायेगा।समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1. ऐसे प्रश्न जिनका मॉडल कुंजी में गलत उत्तर दिया गया है और प्रश्न के वैकल्पिक उत्तरों में दूसरा सही उत्तर उपलब्ध है तब मॉडल कुंजी को संशोधित किया जायेगा।
2. आपत्तियों के आधार पर निम्नलिखित अनुसार पाये गये प्रश्नों को प्रश्नपत्र से विलोपित किया जायेगा:-
    ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्पों में सही उत्तर न हो ।
    ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हों।
    प्रश्न के हिन्दी तथा अँग्रेजी अनुवाद मे भिन्नता हो
3. विषय विशेषज्ञों द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगी तथा आयोग द्वारा वेबसाइट **<u>www.mppsc.nic.in</u>** तथा **<u>www.mppsc.com</u>** पर प्रकाशित की जाएगी ।
4. उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विलोपित किए गये प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार अभ्यर्थियों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा।